परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :--

- विवरणं
- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना के अर्न्तगत /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त चिन्यालीसौंड से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की - संलग्न हैं सीमाओं को दर्शाने वाला मैपं
- ग) परियोजना की लागतं रु० 585 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने ग्राम कोट को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग का औचित्यं निर्माण का अन्य विकल्प न होनां
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये संलग्न हैं जाने के लिए)
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की लगभग 21,000 मानव दिवस संभावना हैं
- विवरणः
- 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार मार्ग निर्माण में 0.262 है० आरक्षित वन भूमि व 0.136 है० सिविल सोयम भूमि कुल 0.398 है० वन भूमि
- 3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का मोटर मार्ग निर्माण से कोई परिवार विस्थापित विवरण, यदि कोई है नहीं होगां
 - •क) परिवारों की संख्या
- लागू नहीं

- लागू नहीं

- ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं

- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 हां के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)
- 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके संलग्न हैं अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
- 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण विषय सूची में उल्लिखित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरां वार संलग्न हैं

दिनांक 30/11/2014

स्थान..उत्तरकाशी

इंड राज्यकमार अधियासी अभियन्ता प्रकृपम् जीठ एस० वाईठ सिचाई खण्ड उत्तरकाणी

मोहर